न्यायालय जिला दंडाधिकारी, पटना।

आदेश

जिले में अधिक ठंड तथा विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अतः मैं डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह, जिला दंडाधिकारी, पटना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–163 के तहत जिले के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री–स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न 09.00 बजे से पहले एवं अपराह्न 04.00 बजे के पश्चात् प्रतिबंध लगाता हूँ। विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। प्री–बोर्ड/बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं/परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।

उपर्युक्त आदेश पटना जिले में दिनांक 02.01.2025 से लागू होगा एवं दिनांक 06.01.2025 तक प्रभावी रहेगा।

यह आदेश दिनांक 01.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।

(डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह)
जिला दंडाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 10 /विधि पटना, दिनांक– 01/01/2025

प्रतिलिपि– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, पटना जिला/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगें।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला दंडाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 10 /विधि, पटना, दिनांक– 01/01/2025

प्रतिलिपि– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

DISTRICT MAGISTRATE
PATNA

जिला दंडाधिकारी,
पटना।

Scanned with OKEN Scanner